राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांकः प. 1(48)एम.ई./ग्रुप–1/81पार्ट   जयपुर, दिनांकः 17 DEC 2018

आदेश

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा पर महामहिम राज्यपाल महोदय निम्न अभ्यर्थी को सहायक आचार्य, रेडियोथेरेपी के पद पर पे–मेट्रिक्स में लेवल 16 (67300–195000) में अस्थाई रूप से एक वर्ष के परिवीक्षा काल पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उसके नाम के सम्मुख अंकित मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति प्रदान करते है। ये चिकित्सक पूर्व से ही नियमित रूप से राज्य सेवा में कार्यरत है। अतः वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफ.डी./रूल्स/06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार के अनुसार इनके वेतन–भत्ते देय होगें :–

क्र.सं.	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	मेरिट संख्या	जन्म तिथि	वर्ग	पदस्थापन स्थान
1.	डॉ0 कमलेश कुमार हर्ष पुत्र श्री श्याम लाल हर्ष C/o श्री मेघराज भाटी, वार्ड नम्बर–55, शील प्रिंटिग प्रेस व पुलिस लाईन के पीछे, रानीसर–बास, बीकानेर (राजस्थान) पिन कोड–334001	एम–05A	05.09.1975	BC, LD (OL)	मेडिकल कॉलेज, बीकानेर

उपरोक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 की पद्धति एवं प्रावधान, शर्तों, सेवा नियमों व राज्य सरकार के द्वारा समय–समय पर इस बारे में जारी आदेशों के अनुसार ही शासित होगी।

यह नियुक्ति कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 8(1) कार्मिक/क–2/2003 दिनांक 6.9.2003 व वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.15(7) वित्त/नियम/97 दिनांक 14.1.2004 एवं वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम क्रमांक 13(1) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.3.3004 के अनुसार अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत होगी एवं वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 6(5) वित्त/नियम/2004 दिनांक 27.7.2004 के अनुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे शासित होगें।

उपरोक्त अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। अभ्यर्थी की जन्मतिथि उनके सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र से सत्यापित कर ली गयी है।

यह नियुक्ति माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3237/2013 डॉ0 कमलेश कुमार हर्ष बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.02.2018 की अनुपालना में प्रदान की जाती है।

इन्हें आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

उपरोक्त नियुक्ति सेवा नियमों के अध्यधीन निबन्धकों एवं शर्तो के तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अध्यधीन है।

आदेश से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(57)भर्ती/गोपनीय/2008–09/180 दिनांक 17.08.2018 के सन्दर्भ में।
4. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कालेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
5. डॉ0 कमलेश कुमार हर्ष पुत्र श्री श्याम लाल हर्ष C/o श्री मेधराज भाटी, वार्ड नम्बर–55, शील प्रिंटिग प्रेस व पुलिस लाईन के पीछे, रानीसर–बास, बीकानेर (राजस्थान) पिन कोड–334001 **रजिस्टर्ड डाक द्वारा।**
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

(महेश व्यास)
शासन सहायक सचिव